न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

पीठासीन अधिकारी, श्री बी.एल.मेहरड़ा, आर0ए0एस0

अपील संख्या :–205/2017(2017/00205)/223/किशनगढ़

1. लालचन्द पुत्र श्री मोहन लाल जाति खाती निवासी पोस्ट ऑफिस के पास, नया शहर, किशनढ़ तहसील किशनगढ़ जरिये मुख्तयारआम श्री विष्णु कुमार कुमावत पुत्र स्व.श्री रामकरण जाति कुमावत निवासी म.न. 3895 वार्ड संख्या 7 नसीराबाद जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, किशनगढ़।

रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.03.2017, वाद संख्या 44/1990 (राजस्व प्रार्थना पत्र वाद संख्या 246/2013)

उपस्थितः–

1. श्री महेन्द्र सिंह चौहान अपीलांट की ओर से।
2. श्री धर्मवीर चौधरी राजकीय अभिभाषक रेस्पो.संख्या 01,2 की ओर से।

आदेश

दिनांकः 26.09.2018

01. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.03.2017 के विरूद्ध प्राप्त हुई हैं।

02. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने एक राजस्व वाद खातेदारी उद्घोषणा विरूद्ध प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम किशनगढ़ तहसील व जिला अजमेर में अवस्थित खसरा नम्बर 6 नये खसरा नम्बर 11/1 रकबा 10 बीघा है जिस पर वादी/अपीलांट राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने से पूर्व ही अपने पूर्वजो के समय से उक्त आराजियात पर काबित काश्त चला आ रहा हैं तथा उक्त आराजियात बाबत् आज दिनांक तक काबिज काश्त चला आ रहा हैं तथा उक्त आराजीयात पर वादी को विधि प्रभाव से खातेदार/काश्तकारी अधिनियम प्रोदभूत होते हैं इस कारण उक्त उक्त वादग्रस्त आराजीयात बाबत् वादी/अपीलांट को खातेदार अधिकार प्रदान किया जावें। वादी का वाद पत्र दिनांक 30.03.1990 को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को वाद पत्र के नोटिस जारी किए जाने के आदेश प्रदान किए। तत्पश्चात वादी/अपीलांट द्वारा प्रसतुत उक्त राजस्व वाद में निरन्तर अग्रिम कार्यवाही हेतु पेशी दर पेशी प्रदान की जाने लगी। उक्त राजस्व वाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 17.01.1997 को आगामी पेशी दिनांक 30.01.1997 को अंतिम बहस हेतु नियत किया गया तथा दिनांक 30.1.1997 को वादी के अभिभाषक ने उक्त वाद को आगे नहीं चलाने जाने की इच्छा/मंशा जाहिर की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना पक्षकार को नोटिस जारी किए ही आदेश दिनांक 30.1.1997 पारित कर वादी के वाद को ड्रोप किए जाने के अविधिक आदेश प्रदान कर दियें। जिसके विरूद्ध प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अनतर्गत आदेश 09 नियम 9 जा.दी. अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रसतुत कर वादी के वाद को पुनः नम्बर पर लिये जाने का निवेदन किया। उक्त प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 16.09.2013 को

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाने के आदेश प्रदान किये तथा उक्त प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10.03.2017 को अपीलांट/प्रार्थी के अभिभाषक की अनुपस्थिति में अदम हाजरी में खारिज करने का आदेश प्रदान कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट/प्रार्थी ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की हैं।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया तत्पश्चात अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस निवेदन किया कि विवादित आराजीयत साबिक खसरा नम्बर 6 नया खसरा नम्बर 11/1 रकबा 10 बीघा जो कि ग्राम किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ में स्थित हैं पर प्रार्थी/अपीलांट वर्षो से काबिज काश्त चला आ रहा हैं तथा उक्त आराजीयात बाबत् खसरा परिवर्तन निर्धारणशील में निरन्तर वादी/अपीलांट की काश्त निरन्तर कब्जा चला आ रहा हैं। वादी/अपीलांट ने उक्त आराजीयात बाबत् उद्घोषणा का वाद पत्र प्रस्तुत किया जिसे उनके पूर्व अभिभाषक श्री गौरीशंकर द्वारा बिना अपीलांट/वादी के निर्देशानुसार उक्त वाद को ड्रोप करवा लिया। जिसके विरूद्ध प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 9 जा.दी. अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रसतुत कर वादी के वाद को पुनः नम्बर पर लिये जाने का निवेदन किया। उक्त प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 10.03.2017 को अपीलांट/प्रार्थी के अभिभाषक की अनुपस्थिति में अदम हाजरी में खारिज करने का आदेश प्रदान किया। उक्त प्रार्थना पत्र बाबत् अपीलांट/वादी को आश्वस्त कर रखा था कि अपीलांट/वादी को आवश्यकता होने पर उनके द्धारा बुला लिया जायेगा तथा अपीलांट/वादी को कह रखा था। इस कारण अपीलांट/वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर दिनांक 10.03.2017 को सुनवाई के दिन बरवक्त आवाज दिलाये जाने बाबत् अपीलांट/प्रार्थी उपस्थित नहीं हो सका। उक्त कारण सद्भाविक कारण हैं इस कारण अपीलांट की अपील को स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजीयात बाबत् अपीलांट/वादी को पुनः सबूत एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किया जाना वादी के वाद को गुणावगुण पर सुना जाना न्यायोचित हैं।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से राजकीय अभिभाषक ने दौराने बहस निवेदन किया कि वर्तमान में विवादित आराजी सिवायचक दर्ज हैं और अपीलांटस अतिक्रमी हैं और वाद पत्र को उनके अभिभाषक द्वारा आगे नहीं चलाने के कारण वाद पत्र का ड्रोप किया गया तथा तत्पश्चात प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 9 जा.दी. भी उनके अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो जाने के कारण अदम हाजरी में खारित किया गया हैं जो विधि सम्मत हैं। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत हैं अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज की जावें।

6.. अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं प्रस्तुत अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादिगण के अभिभाषक द्वारा दिनांक 30.01.1997 को दावा को आगे नहीं चलाने जाने के कारण दावा को ड्रोप किया गया एवं तत्पश्चात राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 9 जा.दी. अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे उनके प्रार्थी के अभिभाषक एवं प्रार्थी के उपस्थित नही होने के कारण अदम पैरवी एवं अदम हाजरी में खारिज किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट ने अपील को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रस्तुत की हैं । अपीलांट/वादी का वाद एक बार उनके अभिभाषक द्वारा आगे नहीं चलाने जाने के कारण ड्रोप कर दिया गया था तो उसको पुनः नम्बर पर लिये जाने हेतु उनके द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था तो जब एक उनके अभिभाषक द्वारा त्रुटि

कारित की गई तो अपीलांट/प्रार्थी की भी जिम्मेदारी होती है कि राजस्व प्रार्थना पत्र में उनके अभिभाषक से जानकारी रखतें। इस क्रम में हम यह उल्लेख कर देना उचित समझते है कि अपीलार्थीगण की ओर से जिस अधिवक्ता ने उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के समक्ष पैरवी की थी उनका कोई शपथ पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किया है कि उन्होने निर्णय की सत्य प्रतिलिपि प्राप्त करने लिए किस तारीख को नकल का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, किस तारीख को उन्हे नकल प्राप्त हुई एवं उन्होने अपीलार्थीगण को निर्णय की सूचना कब दी आदि के बरे में कोई तथ्य उल्लेखित नही हैं। उपरोक्त परिस्थितियों में अपील दायर करने की गयी लगभग ढाई माह की देरी के सम्बन्ध में जो कारण अपीलार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेखित किये है अथवा अपने अधिवक्ता से उल्लेखित कराये है को किसी भी परस्थिति मे संतोषजनक नहीं माना जा सकता हैं। मान्नीय सर्वोच्च न्यायालय, मान्नीय उच्च न्यायालय द्वारा भी अनेकानेक विनिर्णयों में देरी को क्षमा करने के सम्बन्ध में इस आशय का मूलभूत सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि जब तक अपीलार्थी पक्ष द्वारा अपील दायर करने के सम्बन्ध में की गई देरी के सम्बन्ध में सत्य, विश्वसनीय एवं संतोषजनक कारण से अपीलीय न्यायालय को संतुष्ट नहीं कर दिया जाता है तब तक अपील दायर करने में की गयी देरी को कण्डोन नहीं किया जा सकता हैं।

7. उपरोक्त विनिर्णयों में प्रतिपादित किये गये सिद्धान्तो को भी मध्य नजर रखते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है कि अपीलार्थीगण ने देरी को कण्डोन करने जो कारण उल्लेखित किये है वे विश्वसनीय एवं संतोषजनक नहीं हैं जिस कारण से उक्त सिद्धान्तो से बाध्य होते हुए हमारे समक्ष अपीलार्थी द्वारा अपील दायर करने में की गयी लगभग ढ़ाई माह की देरी को कण्डोन करने के कोई न्यायसंगत आधार नहीं हैं। इसलिए अपीलार्थी की अपील मियाद बाहर होने के आधार पर खारिज किये जाने योग्य है।

8. परिणामतः अपीलार्थीगण की अपील मियाद बाहर होने से तथा अपील दायर करने में की गयी देरी क्षमा योग्य नहीं होने से अपील में गुणावगुण पर कोई मत व्यक्त किये बिना इसी आधार पर खारिज की जाती हैं।

26/9/18

(बी. एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. आदेश आज दिनाक 26.09..2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

26/9/18

(बी. एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर